न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

(1) पंचायत रिवीजन संख्याः 33/2021

दायर दिनांकः 20.10.2021

निर्णय दिनांक 19.05.2026

—: अनवान :—

ग्राम पंचायत फरारा, जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) — निगराकार/प्रार्थी

बनाम

श्री पन्नालाल पिता श्री सरूपा जी, जाति सालवी, उम्र 70 वर्ष, निवासी फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) — गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 9640, दिनांक 20.12.2004 के विरुद्ध

(2) पंचायत रिवीजन संख्याः 34/2021

दायर दिनांकः 20.10.2021

निर्णय दिनांक 19.05.2026

—: अनवान :—

ग्राम पंचायत फरारा, जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— निगराकार/प्रार्थी

बनाम

श्रीमती संतोकी पत्नी श्री धुला जी, जाति भील, उम्र 43 वर्ष, निवासी उरी, फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 9643, दिनांक 20.12.2004 के विरुद्ध

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(3) पंचायत रिवीजन संख्याः 35/2021
दायर दिनांकः 20.10.2021
निर्णय दिनांक 19.05.2026

—: अनवान :—

ग्राम पंचायत फरारा, जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— निगराकार/प्रार्थी

बनाम

श्री किशनलाल पिता श्री मांगीलाल जी, जाति लोहार, उम्र 50 वर्ष, निवासी फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 9641, दिनांक 20.12.2004 के विरुद्ध

(4) पंचायत रिवीजन संख्याः 36/2021
दायर दिनांकः 20.10.2021
निर्णय दिनांक 19.05.2026

—: अनवान :—

ग्राम पंचायत फरारा, जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— निगराकार/प्रार्थी

बनाम

श्री नाथुलाल पिता श्री मांगीलाल जी, जाति लोहार, उम्र 45 वर्ष, निवासी फरारा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 9642, दिनांक 20.12.2004 के विरुद्ध

उपस्थित :–

1. श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार.
2. श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार

:: निर्णय ::

निगराकार द्वारा निगरानी याचिका संख्या 33/2021 के साथ ही तीन अन्य निगरानी याचिका संख्या 34/2021, 35/2021, 36/2021 को एक साथ एक ही दिनांक 20.10.2021 को पेश की है। जिसमें अधिनस्थ ग्राम पंचायत फरारा द्वारा दिनांक 20.12.2004 को आबादी भूमि आराजी संख्या 476 में पट्टा संख्या 9640, 9641, 9642, 9643 जारी किये गये हैं। उपरोक्त चारो प्रकरण पट्टा निरस्तिकरण से संबंधित होने से चारो प्रकरणों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा हैं।

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी विरूद्ध पट्टा संख्या 4640, 4641, 4642, 4643, दिनांक 20.12.2004 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत फरारा के ग्राम फरारा में आबादी भूमि आराजी संख्या 476 स्थित है। ग्राम पंचायत फरारा में विपक्षी द्वारा रिहायती दर पर भूखण्ड आवंटन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी के प्रार्थना–पत्र पर ग्राम पंचायत फरारा द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 20.12.2004 को विपक्षी के नाम रिहायती दर पर पट्टा जारी किया गया, जिसके पट्टा संख्या 9640, 9641, 9642, 9643, दिनांक 20.12.2004 है। ग्राम पंचायत फरारा के विरूद्ध सर्तकता प्रकरण अमर सिंह, निवासी फरारा द्वारा आबादी भूमि आराजी संख्या 476 के सम्बन्ध में शिकायत कर जांच की मांग की गई, जिस पर पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा दिनांक 18.02.2020 की जांच रिपोर्ट के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा के आवंटन का पट्टा व रूपा बाई के नाम जारी पट्टा ग्राम सभा में निरस्त को नहीं मान कर श्रीमान् के यहां निगरानी पेश करने के लिए कहा गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षीयों को उक्त पट्टा जारी किया गया, उस समय उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत फरारा में अन्यत्र जगह निर्मित हो चुका था तथा ग्राम सभा दिनांक 14.10.1997 को प्रस्ताव संख्या 04 में ग्राम सभा ने दिनांक 06.08.1995 को उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम जारी पट्टे को निरस्त कर अन्यत्र चयनित स्थान बस स्टॉप फरारा के पास स्थान नियत कर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाना आया हैं तथा प्रस्ताव संख्या 3 में रूपा बाई द्वारा अपने पट्टे को निरस्त करने तथा दूसरी जगह जारी करने के लिये पट्टा सरेण्डर किया। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि आराजी संख्या 476 में कोई अतिक्रमण एवं मौके पर निर्माण नहीं होने से विपक्षी व अन्य के द्वारा आवेदन करने पर जांच कर रिहायत दर पर पट्टे जारी किये गये, जिसमें पट्टा संख्या 9640, 9641, 9642, 9643, दिनांक 20.12.2004 जारी किया गया। विपक्षीयों

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के नाम जो तथाकथित पट्टा जारी किया गया है। उक्त आबादी भूमि आराजी संख्या 476 पर पूर्व में उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम से पट्टा जारी किया गया एवं श्रीमती रूपा बाई के द्वारा अपने पट्टा संख्या 1515, दिनांक 06.02.1996 को स्वयं द्वारा वहां पर निवास नहीं करने एवं सरेण्डर करने से दोनो पट्टे ग्राम सभा ने निरस्त कर आबादी के आंशिक भाग में उक्त नया पट्टा जारी किया, जो कानूनन नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जारी पट्टा संख्या 9640, 9641, 9642, 9643, दिनांक 20.12.2004 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल द्वारा उपस्थिति दी तथा ग्राम पंचायत फरारा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह कथन किया ग्राम पंचायत फरारा में विपक्षी द्वारा रिहायती दर पर भूखण्ड आवंटन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी के प्रार्थना–पत्र पर ग्राम पंचायत फरारा द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 20.12.2004 को विपक्षी के नाम रिहायती दर पर पट्टा जारी किया गया, जिसके पट्टा संख्या 9640, 9641, 9642, 9643, दिनांक 20.12.2004 है। ग्राम पंचायत फरारा के विरूद्ध सर्तकता प्रकरण अमर सिंह, निवासी फरारा द्वारा आबादी भूमि आराजी संख्या 476 के सम्बन्ध में शिकायत कर जांच की मांग की गई, जिस पर पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा दिनांक 18.02.2020 की जांच रिपोर्ट के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र फरारा के आवंटन का पट्टा व रूपा बाई के नाम जारी पट्टा ग्राम सभा में निरस्त को नहीं मान कर श्रीमान् के यहां निगरानी पेश करने के लिए कहा गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षीयों को उक्त पट्टा जारी किया गया, उस समय उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत फरारा में अन्यत्र जगह निर्मित हो चुका था तथा ग्राम सभा दिनांक 14.10.1997 को प्रस्ताव संख्या 04 में ग्राम सभा ने दिनांक 06.08.1995 को उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम जारी पट्टे को निरस्त कर अन्यत्र चयनित स्थान बस स्टॉप फरारा के पास स्थान नियत कर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाना आया हैं तथा प्रस्ताव संख्या 3 में रूपा बाई द्वारा अपने पट्टे को निरस्त करने तथा दूसरी जगह जारी करने के लिये पट्टा सरेण्डर किया। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि आराजी संख्या 476 में कोई अतिक्रमण एवं मौके पर निर्माण नहीं होने से विपक्षी व अन्य के द्वारा आवेदन करने पर जांच कर रिहायत दर पर पट्टे जारी किये गये, जिसमें पट्टा संख्या 9640, 9641, 9642, 9643, दिनांक 20.12.2004 जारी किया गया। उक्त आबादी भूमि आराजी संख्या 476 पर पूर्व में उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम से पट्टा जारी किया गया एवं श्रीमती रूपा बाई के द्वारा अपने पट्टा संख्या 1515, दिनांक 06.02.1996 को स्वयं द्वारा वहां पर निवास नहीं करने एवं सरेण्डर करने से दोनो पट्टे ग्राम सभा ने निरस्त कर आबादी के आंशिक भाग में उक्त नया पट्टा जारी किया, जो

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कानूनन नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जारी पट्टा संख्या 9640, 9641, 9642, 9643, दिनांक 20.12.2004 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया था। उक्त पट्टों को निरस्त किया जाता है तो विपक्षीयों को भारी नुकसान कारित होगा। क्योकि विपक्षी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा बीपीएल परिवार, कमजोर वर्ग के लोग हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी याचिका सव्यय खारिज फरमाई जावे।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकर की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावलीयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह अपील ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फरारा श्री करण सिंह राव द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपील में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि आबादी भूमि आराजी संख्या 476 पर पूर्व में उप–स्वास्थ्य केंद्र के नाम से पट्टा जारी किया गया था एवं श्रीमती रूपा बाई को जो पट्टा जारी था, उसको निरस्त कराने का निवेदन किया था जिसे ग्राम सभा ने निर्णय लेकर इन दोनों ही पट्टों को निरस्त करने का निर्णय लिया। तथा इस भूमि को अन्य बीपीएल परिवारों को आवंटन करने का भी निर्णय लिया गया। अपील अनुसार ग्राम पंचायत को या ग्राम सभा को इस तरह के निर्णय लिए जाने का अधिकार नहीं है। यदि कोई पट्टा जारी हो गया है, तो उसे निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को ही है। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

हमने पत्रावली में उपलब्ध ग्राम सभा दिनांक 14.10.1997 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उप–स्वास्थ्य केंद्र को जहां पूर्व में पट्टा जारी किया गया था, अब वह स्थान उपयुक्त नहीं है तथा उप–स्वास्थ्य केंद्र फरारा बस स्टॉप के पास ही बनाने का निर्णय लिया। अतः पूर्व में जो दिनांक 06.08.1995 को उप–स्वास्थ्य केंद्र को पट्टा जारी किया गया था, उसे निरस्त करके और अन्य चयनित स्थान पर ही पट्टा जारी करके उप–स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए।

इसी प्रकार, इसी ग्राम सभा में श्रीमती रूपा बाई पत्नी श्री परसराम पालीवालकृ जिनको कि एक निःशुल्क पट्टा क्रमांक 1515 दिनांक 06.02.1996 को जारी किया गया था उसमें उसके द्वारा निवेदन किया कि आस–पड़ोस के लोगों से उसको खतरा है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। इस पट्टे को निरस्त कर मुझे अन्यत्र पट्टा दिया जाए। और ग्राम सभा में सभी के सामने रूपा बाई ने उक्त पट्टा सरेंडर कर दिया। इस प्रकार, ग्राम सभा की कार्यवाही पूर्व में जारी दो पट्टों को निरस्त किया गया, जिस पर पंचायत समिति, राजसमंद के विकास अधिकारी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी को दिनांक 25.09.2020 को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार से निरस्त किए गए उप–स्वास्थ्य

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

केंद्र के पट्टे की भूमि पर अन्य लोगों को जो पट्टे जारी कर दिए गए हैं, उन्हें निरस्त कराया जाए। क्योंकि ये विधिवत प्रक्रिया का पालन करके जारी नहीं किए गए हैं।

यहाँ पर प्रश्न क्षेत्राधिकार का है। यहाँ पर यह निर्धारित करना है कि ग्राम सभा द्वारा अपने पूर्व में जारी किए गए किसी पट्टे को निरस्त किए जाने का अधिकार है अथवा नहीं। इसमें जब तथ्यात्मक (Factual) रिपोर्ट स्वयं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फरारा श्री करण सिंह राव द्वारा प्रस्तुत की गई। जिनके द्वारा यह निगरानी याचिकाएँ प्रस्तुत की गई, उन्हीं के द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि यह निगरानी महज राजनीतिक द्वैषता से दायर की गई है, जो ग्राम सभा के प्रस्ताव को अनदेखा करके कार्रवाई की गई है, जिसे समाप्त किया जाना न्यायसंगत होगा। अर्थात, स्वयं अपीलकर्ता ही अपील को निरस्त किए जाने का निवेदन कर रहा है।

यहाँ पर यह भूमि विपक्षीयों को रियायती दर पर आवंटन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वार्ड पंचों की जांच रिपोर्ट में विपक्षीयों को बीपीएल परिवार का होना माना है। साथ ही जो प्रारंभिक पत्र संग्रह सूची कागजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लगे है, उसमें भी बीपीएल परिवार सूची की एक प्रति संलग्न होने का अंकन किया गया है। परंतु, इस पत्रावली में कहीं भी आवंटी (Allottee) का राशन कार्ड, उसका जाति प्रमाण पत्र, उसका बीपीएल होने का प्रमाण पत्र, कुछ भी संलग्न नहीं है, जो यह साबित करता हो कि आवंटी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति है साथ ही, वह बीपीएल परिवार से संबंध रखते हो, इसका भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावलीयों में उपलब्ध नहीं है।

अतः बिना सम्यक जांच के ये आवंटन पत्र जारी किया जाना जाहिर हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिकाओं को स्वीकार किया जाना मैं उचित समझता हूँ तथा विपक्षीयों को जारी किए गए आवंटन पत्र संख्या 9640, 9641, 9642, 9643, दिनांक 20.12.2004 को निरस्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत चारो निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत फरारा द्वारा जारी पट्टा संख्या 9640, 9641, 9642, 9643, दिनांक 20.12.2004 को निरस्त किया जाता है। परंतु, साथ ही मैं यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा बीपीएल परिवार, कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनाएं रखी जाना भी नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से, मैं आवश्यक मानता हूँ। आवंटी से उसका जाति प्रमाण पत्र अथवा उसका बीपीएल सूची में होने का दस्तावेज प्राप्त नहीं करना, उसे पत्रावली में नहीं लगाना। यह ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव की

जिम्मेदारी है। तो उसके द्वारा यदि अपने कर्तव्यों का निर्हवन ढंग से नहीं किया गया है, तो उसकी सजा मैं आवंटी को दिया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अतः व्यापक रूप से तथा प्रकरण की समावेशिता को ध्यान में रखते हुए, मैं निम्न निर्णय सुनाया जाना उचित समझता हूँ :–

1. सर्वप्रथम विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमंद तथा ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर (BCMO), दोनों यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत फरार में जो उप–स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना है, वह किस भूमि पर होना है। यदि यह पूर्व आवंटित भूमि पर किया जाना है अथवा बस स्टैंड के पास किया जाना है, इस तथ्य का निर्णय करें तथा तदनुरूप (तदनुसार) ग्राम पंचायत से चयनित भूमि का नया पट्टा बनवाएं।

2. जब नया पट्टा विधिक प्रक्रिया अपनाकर, सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करके जारी कर दिया जाए और यदि वह भिन्न स्थान का हो, तो पूर्व में जारी पट्टे को स्वतः ही निरस्त माना जाए।

3. यदि उक्त समिति यह अभिनिर्धारित करती है कि उप–स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पूर्व में ही आवंटित भूमि पर नहीं किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में आवंटीयों की पात्रता की भी जांच की जाए तथा उससे उनके आवंटन के समय बीपीएल होने का दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किया जाए, उनके अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए और चूंकि उसके द्वारा पूर्व में ही भूखंड की राशि भी जमा कराई जा चुकी है, और यदि आवंटी पात्रता रखता है, तो उसे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत रियायती दर पर भूखंड आवंटन करने की विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए भूखण्ड नये सिरे से आवंटन किया जाए। उक्त कार्य विकास अधिकारी पंचायत समिति राजसमंद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर किया जाए।

ग्राम पंचायत फरारा को निर्णय की प्रतियॉं तथा उनके कार्यालय की मूल पट्टा पत्रावलीयॉं लौटायी जावें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद